फा. सं.48(06)/पीएफ.II/2016
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(योजना वित्त-II प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
27 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का 31.03.2017 से आगे विस्तार।

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार ने लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के 31.03.2017 से आगे विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सरकार के निर्णय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

I. 839 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक विस्तार।
II. अनुबंध 'क' में यथा-उल्लिखित 23 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) और उससे उच्च स्तर के पदों को जारी रखना।
III. 400 जिला परियोजना प्रबंधन ईकाइयों की स्थापना करना।
IV. 2017-20 की बढ़ाई गई अवधि में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अंतिम लाभार्थी तक धनराशि पर पूरी नजर रखने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करेगी तथा केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में धन का 'तत्क्षण' अंतरण सक्षम बनाएगी।
V. बढ़ाई गई अवधि में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सभी राज्यों के साथ कोषागार के एकीकरण, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के संपूर्ण पंजीकरण और व्यय अग्रिम एवं अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल के प्रयोग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतानों को सुविधाजनक बनाने और अन्य आईटी प्लेटफार्मों के साथ अनुकूलन, शेष बैंकों के साथ एकीकरण, सरकारी आय एवं भुगतानों के पूर्ण डिजिटीकरण, बेहतर कार्यनिष्पादन एवं सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, पीएफएमएस का जीआईएफएमआईएस (शासकीय एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली) में उन्नयन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और बेहतर निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए डाटा जुटाने/विश्लेषण का भी भरसक प्रयास करेगी।
VI. उपर्युक्त बिन्दु (II) में उल्लिखित पदों को 31.03.2020 तक जारी रखा जाएगा। ये पद (एनआईसी के लिए निर्धारित तकनीकी पदों के अलावा) व्यय विभाग के अधीन होंगे और जहां तक संभव हो, इन पदों को 'सीजीए' व्यवस्था के उपलब्ध अधिकारियों से भरा जाए और शेष पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों से भरे जाएं।

संलग्नः यथोक्त।

चितरंजन दाश 27.2.17

(चितरंजन दाश)
निदेशक (पीएफ.II)
फोनः 23093109
{chittaranjan.dash@nic.in}

संलग्न सूची के अनुसार परिचालित किया जाए।

पीएफएमएस आदेश के परिचालन के लिए सूची

1. श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग
2. श्रीमती अरूणा सुंदरराजन, सचिव, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3. श्री राजीव गौबा, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
4. श्रीमती अर्चना निगम, महालेखानियंत्रक
5. सुश्री नीता वर्मा, महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)
6. सुश्री मीरा स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, व्यय विभाग
7. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग
8. श्री राजीव रंजन, संयुक्त सचिव (पीएफ-I), व्यय विभाग
9. श्री प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग
10. सुश्री अनुराधा मित्र, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
11. श्री राजू शरन, संयुक्त महालेखानियंत्रक, पीएफएमएस
12. श्री पीयूष कुमार, संयुक्त सचिव (डीबीटी मिशन), मंत्रिमंडल सचिवालय
13. श्री टी.वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय
14. श्री गिरिधर अरमाने, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय
15. सुश्री अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव, समन्वय प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
16. प्रधान सचिव (वित्त)/सचिव, नियोजना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
17. श्री नागेश शास्त्री, डीडीजी, एनआईसी
18. श्री पंकज शर्मा, उप-महालेखानियंत्रक, पीएफएमएस
19. सुश्री सुखगीत कौर, निदेशक (पीएएमडी), नीति आयोग
20. वित्त सचिव के पीएसओ/संयुक्त सचिव (पीएफ-II) के निजी सचिव/निदेशक (सीडी) के निजी सचिव
21. व्यय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी सेल, नॉर्थ ब्लॉक को प्रतिलिपि
22. गार्ड फाइल

अनुबंध 'क'

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उससे उच्च ग्रेड के पद				
महालेखानियंत्रक के पद				
	पदनाम	**पदों की संख्या**		
महालेखानियंत्रक के पद		**सीपीएमयू**	**एसपीएमयू**	**जोड़**
उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	अपर महालेखानियंत्रक	1		1
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	संयुक्त महालेखानियंत्रक	2	19	21
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के पद				
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	उप-महालेखानियंत्रक	1		1
पीएफएमएस जोड़		**4**	**19**	**23**

निरंजन राय
2/5/2017